न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा.पत्र मुन्त./94/2025

मांगीलाल पुत्र रामफूल जाति मीना निवासी ग्रांम मिलकपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर

..........**प्रार्थी0**

बनाम

1—झम्मन । — समय सिंह जाति मीना निवासी ग्रांम मिलकपुर
2—भरतलाल । तहसील बयाना जिला भरतपुर
3—हरभेजी पत्नी समय सिंह
4—भूरबाई पत्नी झम्मन

...... **अप्रार्थी0 असल**

5—भगवानसिंह । पुत्रान हीरालाल जाति मीना निवासी मिलकपुर तहसील
6—मुकेश । बयाना जिला भरतपुर

...... **अप्रार्थी0 तरतीवी**

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली विरुद्ध श्री दीपक मित्तल उपखण्ड अधिकारी बयाना बाबत वमुकदमा संख्या—233/2024 उनवानी मांगीलाल बनाम झम्मन वगै0 को दीगर न्यायालय में मुन्तकिली किये जाने।

उपस्थितः—
1—श्री दीपक शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी0,
2—अप्रार्थी0 अनुपस्थित

निर्णय **दिनांक 11.03.2026**

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया गया है, संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि एक दावा उनवानी मागीलाल बनाम झम्मन वगै0 अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 323 आर. टी.एक्ट एस.डी.ओ. बयाना के न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट दिनांक 4.12.24 को बहस में लगा हुआ है। प्रतिवादीगण की ओर से बहस करने का दबाब बनाया गया, प्रार्थी के वकील द्वारा उक्त प्रकरण में नकल आदि पेश करने हेतु समय चाहा जिस पर श्रीमान एस.डी.ओ. श्री दीपक मित्तल द्वारा बड़ी मुश्किल से तारीख पेशी 10.12.24 दी गई। लन्च के बाद अप्रार्थी झम्मन को श्री दीपक मित्तल साहब के चैम्बर मे से निकलते हुये देखा और सांय को गावं आने पर झम्मन वगेरा ने प्रार्थी से कहा कि हमारी एस.डी.ओ.साहब से बात हो गई हैं अब की तारीख पर आपका स्टे खत्म हो जायेगा। प्रार्थी को एस.डी.ओ.साहब श्री दीपक मित्तल से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के उक्त मुकदमे को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने के आदेश दिये जावें।

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी0 को नोटिस जारी किये गये। एस.डी.ओ. बयाना से टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये हैं। ऐसी स्थिति में बहस प्रार्थी सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि एस.डी.ओ. बयाना के न्यायालय में विचाराधीन दावा प्रार्थना पत्र 212 में पीठासीन अधिकारी द्वारा बहस के लिये दबाब बनाना एवं रिकार्ड पेश करने के समय नहीं देना, तथा अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से प्रकरण को अपने हक में निर्णय होने की धमकी देना, से शक जाहिर होता है कि पीठासीन अधिकारी प्रकरण का निर्णय अप्रार्थी0 के हक में करेगें। इसलिये एस.डी. ओ. बयाना के न्यायालय में विचाराधीन दावा प्रार्थना पत्र 212 मु0 सं0 233/24 को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी के कथनों पर गौर किया गया। एस.डी.ओ. बयाना से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा केवल शंका के आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थी ने अपने मौखिक कथनों के समर्थन में कोई साक्ष्य दस्तावेजी पेश नहीं किये गये हैं। अस्तु प्रार्थना पत्र मुन्तकिली काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि –

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्डाधिकारी बयाना को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर